न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0– 19 / 2022–23

–:आदेश:–

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, तोपचाँची से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, तोपचाँची के द्वारा अपने पत्रांक– 82, दिनांक– 09.02.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक झूपर रविदास, पिता– स्व0 धूपल रविदास, साकिम– मदैयडीह टोला, खमारडीह, पो0– साहुबहियार, थाना– तोपचाँची, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– मदैयडीह, मौजा नं0– 45, खाता सं0– 61, प्लॉट सं0– 1866, रकवा– 5.50 डिसमील भूमि क्रेता शंकर रविदास, पिता– भाजु रविदास, साकिम– मदैयडीह टोला, खमारडीह, पो0– साहुबहियार, थाना– तोपचाँची, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के चमार है तथा विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना– तोपचाँची, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 3 एकड़ 8.50 डिसमील शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 14:41:25 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner